//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 116 / 2022

उनवान

1. पुष्पादेवी पुत्री ताराचन्द, जाति यादव नि0 सुतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद, हाल नि0 यादव भवन पुराने पावॅर हाउस के पीछे, शिवपुरी, अजमेर,
2. सरस्वती पुत्री ताराचन्द, जाति यादव नि0 सुतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद, हाल नि0 म0न0 12 ओटो स्टेण्ड हाउसिंग बोर्ड किशनगढ अजमेर,

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री नवीन गुर्जर

बनाम

1. ललितादेवी पत्नि स्व. उदयसिंह,
2. आशा पुत्री स्व. उदयसिह,
3. विजेश पुत्र स्व. उदयसिंह ,
4. मुकेश पुत्र स्व. उदयसिह,
5. ओमप्रकाश पुत्र स्व. उदयसिंह,
6. चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व. उदयसिंह,
7. जयसिंह पुत्र स्व. ताराचन्द मृत जरियें वारिसान
8. मंजूदेवी पत्नि स्व. करण यादव,
9. कृष्णगोपाल पुत्र करण यादव,
10. महेश यादव पुत्र करण यादव,
11. दिनेश यादव पुत्र करण यादव समस्त जातिगण यादव, निवासी सुत्तरखान मोहल्ला नसीराबाद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर (राज0),
12. राजेश यादव पुत्र भगवतीदेवी पुत्री स्व. ताराचन्द,
13. रमेश यादव पुत्र भगवतीदेवी पुत्री स्व. ताराचन्द,
14. उषा यादव पुत्री भगवतीदेवी पुत्री स्व. ताराचन्द,
15. मानसिंह यादव पुत्र भगवतीदेवी पुत्री स्व. ताराचन्द,
16. धीरज यादव पुत्र भगवतीदेवी पुत्री स्व. ताराचन्द,
17. सीमा यादव पुत्र भगवतीदेवी स्व. ताराचन्द,
18. आनन्द यादव पुत्र संपत यादव पुत्री स्व. ताराचन्द,
19. हेमलता यादव पुत्री संपत यादव पुत्री स्व. ताराचन्द
20. धर्मवीर यादव पुत्र संपत यादव पुत्री स्व. ताराचन्द,
21. विमला पत्नि स्व. भंवरलाल पुत्र स्व. सालगराम,
22. नरेन्द्र पुत्र स्व. भंवरलाल पुत्र स्व. सालगराम,
23. नरेश पुत्र स्व. भंवरलाल पुत्र स्व. सालगराम,
24. चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व. भंवरलाल पुत्र स्व. सालगराम,
25. भूपसिंह पुत्र स्व. भंवरलाल पुत्र स्व. सालगराम समस्त जातिगण यादव निवासी सुत्तरखाना नसीराबाद जिला अजमेर,
26. सविता पुत्री स्व. भंवरलाल पुत्र स्व. सालगराम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:19:45 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

27. मधु पुत्री स्व. भंवरलाल पुत्र स्व. सालगराम,
28. मीना पुत्री स्व. भंवरलाल पुत्र स्व. सालगराम,
29. प्रिया पुत्री स्व. भंवरलाल पुत्र स्व. सालगराम,
30. वीरेन्द्र पुत्र स्व. विमला पुत्री स्व. सालगराम ,
31. उमेश पुत्र स्व. विमला पुत्री स्व. सालगराम,
32. प्रेम पुत्र स्व. विमला पुत्री स्व. सालगराम,
33. कौशल पुत्र स्व. विमला पुत्री स्व. सालगराम,
34. पुष्पा पुत्री स्व. विमला पुत्री स्व. सालगराम,
35. सुनिता पुत्री स्व. विमला पुत्री स्व. सालगराम,
36. मन्जू पुत्री स्व. विमला पुत्री स्व. सालगराम,
37. सुमित्रा पत्नि रामनिवास पुत्र स्व. सालमराम ,
38. वीरेन्द्र पुत्र रामनिवास पुत्र स्व. सालगराम,
39. शशि पुत्री रामनिवास पुत्र स्व. सालगराम,
40. लक्ष्मी पत्नि स्व. भागचन्द पुत्र स्व. सालगराम,
41. सावन पुत्र स्व. भागचन्द पुत्र स्व. सालगराम,
42. वर्षा पुत्री स्व. भागचन्द पुत्र स्व. सालगराम,
43. ऋतु पुत्री स्व. भागचन्द पुत्र स्व. सालगराम,
44. मोना पुत्री स्व. भागचन्द पुत्र स्व. सालगराम,
45. नीतू पुत्री स्व. भागचन्द पुत्र स्व. सालगराम,
46. शीतल पुत्री स्व. भागचन्द पुत्र स्व. सालगराम,
47. कमला पुत्री स्व. सालगराम,
48. नंदकिशोर पुत्र स्व. सालगराम,
49. मीरा पत्नि स्व. शंकर पुत्र स्व. सालगराम,
50. पंकज पुत्र स्व. शंकर पुत्र स्व. सालगराम,
51. रीना पुत्री स्व. शंकर पुत्र सालगराम,
52. चन्द्रप्रकाश उर्फ लाला पुत्र स्व. शंकर पुत्र स्व. सालगराम,
53. चांदमल पुत्र स्व. मोहनलाल पुत्र स्व. धन्ना,
54. रामलाल पुत्र स्व. मोहनलाल पुत्र स्व. धन्ना,
55. मुरली पुत्र स्व. मोहनलाल पुत्र स्व. धन्ना,
56. बंशीलाल पुत्र स्व. मोहनलाल पुत्र स्व. धन्ना,
57. श्यामलाल पुत्र स्व. मोहनलाल पुत्र स्व. धन्ना,
58. सूरजमल पुत्र स्व. मोहनलाल पुत्र स्व. धन्ना,
59. सुनीता पुत्री स्व. रामप्यारी पुत्री स्व. मोहनलाल,
60. सुनील पुत्र स्व. रामप्यारी पुत्री स्व. मोहनलाल ,
61. हेमा पुत्री स्व. रामप्यारी पुत्री स्व. मोहनलाल,
62. मधु पुत्री स्व. रामप्यारी पुत्री स्व. मोहनलाल,
63. गौरव पुत्र स्व. रामप्यारी पुत्री स्व. मोहनलाल,
64. निहारिका पुत्री स्व. रामप्यारी पुत्री स्व. मोहनलाल ,
65. कौशल्या पुत्री स्व. रामप्यारी पुत्री स्व. मोहनलाल,
66. निर्मल पुत्र स्व. दुर्गा पुत्री स्व. मोहनलाल,
67. विमल पुत्र स्व. दुर्गा पुत्री स्व. मोहनलाल,
68. बबली पुत्री स्व. मोहनलाल पुत्र स्व. धन्ना,
69. गायत्री पुत्री स्व. मोहनलाल पुत्र स्व. धन्ना,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:19:45 IST
Reason: SelfAttested

—3

नसीराबाद (अजमेर)

70. नाथू सिंह पुत्र स्व. उमराव पुत्र स्व. धन्ना,
71. अशोक पुत्र स्व. उमराव पुत्र स्व. धन्ना,
72. कृष्णा पत्नि रामचन्द्र पुत्र स्व. धन्ना, .
73. मनीषा पुत्री स्व. रामचन्द्र पुत्र स्व. धन्ना,
74. गीतांजलि पुत्री स्व. उमराव पुत्र स्व. धन्ना,
75. मालती पुत्री स्व. उमराव पुत्र स्व. धन्ना,
76. लाजवंती पुत्री स्व. उमराव पुत्र स्व. धन्ना,
77. मैना पुत्री स्व. उमराव पुत्र स्व. धन्ना,
78. माया पुत्री स्व. उमराव पुत्र स्व. धन्ना ,
79. मधु पत्नि स्व. जुगनू ,
80. लक्षिता पुत्री स्व. जुगनू ,
81. अक्षिता पुत्री स्व. जुगनू
82. विनय पुत्र स्व. जुगनू समस्त जातिगण यादव निवासी सुतरखाना मोहल्ला नसीराबाद जिला अजमेर,
83. उपपंजीयन अधिकारी नसीराबाद कार्यालय तहसील नसीराबाद जिला अजमेर,
84. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर

––– अप्रार्थीगण :– 30, 39 अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड
3, 4, 5, 8, 9 व 55 जरियें अधिवक्ता श्री मदनपुरी गोस्वामी
83 व 84 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 22.1.25

वादीगण ने जरियें अधिवक्ता उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू, धोलादांता देराठू, बारापत्थर व राताखेडा में वादीगण की पुश्तेनी खातेदारी काश्तकारी की आराजी स्थित है जिस पर वादीगण का कदीमी समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है, उक्त आराजी का विवरण निम्न प्रकार है :–

ग्राम देराठू :–

चौसाला खसरा नम्बर	रकबा	वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
700	2–10–0	670	2–10–0	885	0.40
896	0–12–0	864	0–12–0	1174	0.20
897	2–5–10	864	2–5–10	1171	0.15
899	0–4–10	864	0–4–10	1173	0.03
894	0–19–0	864	0–19–0	1172	0.04
895	3–12–0	864	3–12–0	1170	0.11
902	7–17–10	867	[illegible]–17–10	1176	1.30
906	6–13–10	872	6–13–10	1185	0.03
909	7–9–0	875	[illegible]–18–0	1189	1.86
		87	0–11–0		
907	7–15–10	873	[illegible]–10–0	1186	0.03

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:19:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

				1191	1.09
				1187	0.05
898	12–15–0	865	12–0–0	1175	2.86
859	2–1–10	815	2–1–10	1140	0.33
860	2–11–10	816	2–11–10	1138	0.42
936	3–12–0	907	3–12–0	1203	0.58
4709	4–5–0	35	4–5–0	1/554	0.69
4712	0–10–0	38	0–10–0	1/557	0.67
4713	0–11–0	38	0–5–10		
4714	0–10–0	38	0–10–8		
4715	0–15–0	39	0–15–0	1/555	0.20
4716	0–18–0	36	0–18–0	1/555	0.05
4717	0–3–0	37	0–3–0	1/556	0.02
4718	0–13–0	38	0–18–0	1/557	0.33
4719	0–13–0	38	0–13–0		

बारापत्थर

चौसाला खसरा नम्बर	रकबा	वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
564	0–7–10	585	0–7–10	718	0.06
817	1–17–0	865	7–3–10	1077	0.84
818	5–6–10				
564 मिन.	5–0–0	575	0.81	701	0.81
559	0–7–0	573	0.10	696/1280	0.10
560 मिन.	5–3–0	571	0.52	696	0.90
550	0–8–10	577	0.38		
537	1–17–10	549 मी.	0.05	656	0.05
		549 मी.	0.25	658	0.25
529	0–10–0	548	0.10	657	0.10
535	3–7–0	551 मी.	0.66	660	0.66
546 मी.	0–2–0	551 मी.	0.02	661	0.02
545	3–7–0	551 मी.	0.02	661	0.02
546	0–4–0	552 मी.	0.03	662	0.03
547 मी.	0–11–0	552 मी.	0.21	663	0.21
543 मी	0–5–0	559	0.04	665	0.04
542	0–6–10	558	0.05	666	0.05
541	2–1–10	554	0.33	668	0.33
539	1–18–0	556 मी.	0.28	670	0.28
		556 मी.	0.03	671	0.03
		556 मी.	0	672	0.20
548	2–10–0	560 मी.	0.07	673	0.07
		560 मी.	0.28	674	0.28
549	0–14–10	565 मी.	0.02	673	0.07
		565 मी.	0.22	682	0.22

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:19:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

555 मी	0–7–0	565	0.06	681	0.06
549	0–14–10	565 मी.	0.22	682	0.22
553	2–5–0	569 मी.	0.54	683	0.54
554	5–2–10	569	0.54	683	0.54
550	1–3–10	566	0.19	686	0.19
557	6–18–0	570 मी.	0.19	690	0.19
		570 मी.	0.17	691	0.17
		570 मी.	0.39	692	0.39
		570 मी.	0.37	693	0.37
560 मी.	5–3–0	571 मी.	0.08	695	0.08
		571 मी	0.52	696	0.90
562	3–13–10	577 मी.	0.38	696	0.90
561	0–2–0	576 मी.	0.05	697	0.05
563	5–11–10	576 मी.	0.77	698	0.77
559	1–2–0	573 मी.	0.18	696	0.23
560 मी.	0–4–0	572	0.05	699	0.23
531	2–1–10	572	0.05	699	0.23
558	3–10–0	574	0.56	700	0.56
532	0–10–0	544	0.08	653	0.62
531	3–6–0	545	0.54	653	0.62
528	1–18–10	547	0.31	655	0.31
555 मी.	3–17–10	563 मी.	0.67	680	0.60
556	4–7–10	563 मी.	0.67	680	0.60
534	3–15–10	542 मिन	0.41	650	0.41
536	2–13–10	542 मिन	0.20	651	0.20
540	1–5–3	550	0.43	659	0.43
555 मिन	2–0–0	557	0.03	667	0.03
547	3–3–2	557 मिन	0.20	672	0.20
555	3–17–10	561	0.50	675	0.50
556	4–7–10	563	0.46	694	0.46

धोलादाँता देराठू

चौसाला खसरा नम्बर	रकबा	वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1	1–3–0	1	1–3–0	1	0.79
2	1–4–10	1	1–4–10	1	0.79
3	0–14–0	1	0–14–0	1	0.79
4	2–11–0	1	2–11–0	1	0.79
13	0–12–0	10	0–12–0	18	0.10
34	1–19–0	19	1–19–0	22	0.10
35	1–16–10	19	1–16–10	23	0.29
				33	0.01
54	1–13–0	34	8–3–0	56	1.32

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:19:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

		33	3–8–0	56	1.32
44	1–13–10	57	1–0–0	41	0.09
				34	0.16
		52	0–8–10	34	0.16
		52	0.03	35	0.03
55	3–5–0	36	3–5–0	57	0.49
40	2–2–0	55	2–2–0	38	0.34
20	0–12–0	20 मी.	0–9–0	19	0.19
		20 मी.	0–9–0		
7	3–8–3	4	3–8–0	5	0.19
14	3–3–10	11	2–6–10	24	0.38
		12	0–16–0	25	0.14
15	2–0–0	12	2–0–0	25	0.14
5	5–16–0	2	5–16–0	2	0.09
				3	0.85
23	0–8–0	23	0–8–0	15	0.06
22	0–16–0	22	0–16–0	16	0.13
46	1–1–10	51	1–1–0	34	0.16
45	0–4–0	56	0–4–0	36	0.03
117	0–16–10	94	0–16–0	97/1112	0.13
119	1–7–10	94	1–7–10	97	0.93
118	1–10–10	94	1–10–10	21	0.21
120	1–3–10	94	1–3–10	20	0.42
121	3–10–10	95	3–10–0	97	0.93
91	1–16–0	81	1–16–0	70	0.29
		49/912	0.48	14	0.48

राताखेडा

चौसाला खसरा नम्बर	रकबा	वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
4717	0–3–0	36	0–3–0	1/556	0.02
4718	0–13–0	38	0–13–0	1/557	0.67
4719	1–8–0	38	1–8–0	1/557	0.67
4709	4–5–0	35	4–5–0	1/554	0.69

उक्त 4 ग्राम की आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबंदी में वादीगण के दादा धन्ना अहीर की खातेदारी व कब्जा काश्त की थी। धन्ना की पत्नी की मृत्यु हो गयी है। धन्ना के चार पुत्र सालगराम, मोहन, उमराव व ताराचन्द हुये। सालगराम पुत्र धन्ना के वारिस भंवरलाल, रामनिवास, भागचन्द, शंकर, नन्दकिशोर पुत्र व विमला, कमला पुत्रिया है जिसमे से नंद[illegible] जीवित है, शेष वारिसान का स्वर्गवास हो गया है। जिनके वारिसान [illegible] में पक्षकार बनाया गया है। धन्ना के अन्य पुत्र मोहन पुत्र धन्ना [illegible], बंशीलाल, श्यामलाल, सूरजकरण, व पुत्री रामप्यारी, कौशल्या, [illegible], गायत्री हुये, जिनमें से पुत्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:19:45 IST
Reason: SelfAttested

—7

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

रामप्यारी, दुर्गा की मृत्यु हो गयी है के वारिसान प्रकरण में पक्षकार है। उमराव पुत्र धन्ना के पुत्र नाथू सिंह, रामचन्द्र, अशोक, व पुत्रियॉ मालती, लाजवंती, मेना, माया है इनके पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु हो गयी है। जिसके वारिस प्रकरण में पक्षकार है। शेष वारिसान जीवित है। ताराचन्द पुत्र धन्ना की मृत्यु हो गयी है जिनके वारिस उदय सिंह, जय सिंह, करण पुत्र शांति देवी, भगवती, देवी, संपत, सरस्वती, पुष्पा पुत्री है। करण सिंह, तथा पुत्री शान्ति देवी, भगवती, संपत की मृत्यु हो गयी है जिनके वारिस पक्षकार है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा के मूल खातेदार धन्ना व उसके वारिस पत्नी तथा पुत्रों की मृत्यु हो गयी है जिस कारण वादीगण व प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर हक व हिस्सा निहित है। वादीगण सरस्वती देवी व पुष्पा मृतक ताराचन्द की पुत्री है। उक्त आराजी ताराचन्द पुत्र धन्ना की पुश्तैनी है किन्तु विरासत का नामान्तकरण करते समय आराजी मुतनाजा पर ताराचन्द के पुत्र उदय सिंह, जय सिंह, व करण सिंह का नाम ही अंकित कर दिया जबकि ताराचन्द की पुत्रिया प्रार्थीगण व संपत, भगवती देवी, शान्ति देवी का नाम भी उक्त आराजी में दर्ज करना चाहिये था। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी की जा रही है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः मृतक ताराचन्द पुत्र धन्ना के हक व हिस्से की आराजी पर उसके पुत्र उदय सिंह, जय सिंह, करण सिंह के साथ सरस्वती (वादी) पुष्पा (वादी) संपत के वारिस, भगवतीदेवी के वारिस, विधिक वारिस को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को आराजी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि आराजी मुतनाजा पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 30 ने जवाब मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि जवाबकर्ता विमला का पुत्र है। विमला के हक व हिस्से की आराजी पर जवाबकर्ता विरेन्द्र का भी हक व हिस्सा निहित है। विमला के पुत्र वीरेन्द्र, उमेश, प्रेम, कौशल व पुत्रियॉ पुष्पा, सुनिता, मंजू है जो जीवित है। आराजी मुतनाजा पर विरासत दर्ज करते समय विमला के पुत्र व पुत्रियों का नाम दर्ज नही किया गया। अतः विमला के हिस्से की आराजी पर उसके पुत्र व पुत्रियों का नाम दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 55 ने जवाब पेश कर वाद पत्र की चरण संख्या 1 से 7 को स्वीकार किया व निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा बाबत वाद मुरलीधर बनाम विमला हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। वादीगण धन्ना के पुत्र ताराचन्द की विधिक वारिस है। वादीगण का धन्ना के अन्य पुत्रो की आराजी पर कोई हक निहित नही है। अतः वादीगण को धन्ना के अन्य पुत्रों के हक की आराजी पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नही की जावे।

प्रतिवादी संख्या 39 ने जवाब मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि रामनिवास की मृत्यु के बाद ग्राम राताखेडा के खसरा नम्बर 1/554 रकबा 0.69 व खसरा नम्बर 1/556 रकबा 0.02 पर जवाबकर्ता का नाम दर्ज किया गया किन्तु शेष आराजी पर जवाबकर्ता का नाम जरियें विरासत दर्ज नही किया गया। अतः आराजी मुतनाजा पर रामनिवास पुत्र सालगराम के हिस्से पर जवाबकर्ता का नाम जरियें विरासत दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:19:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 5, 8 व 9 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वारिसान के संबध में कोई शजरा पेश नही किया है। आराजी मुतनाजा पर जवाबकर्ता व अन्य वारिसान का नाम चौसाला जमाबंदी से वंर्किग जमाबंदी में नियमानुसार खातेदारी जरियें विरासत नामान्तकरण दर्ज की गयी है तथा आराजी मुतनाजा में वर्ष 2005 में पुत्रियों का अधिकार उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार प्रदत किया गया के पूर्व में ही प्रतिवादीगण के नाम नियमानुसार खातेदारी दर्ज की गयी है। आराजी मुतनाजा पर दर्ज सभी खातेदार विगत 50 वर्ष से खातेदार दर्ज चले आ रहे है। उक्त समय पुत्रियों का कोई अधिकार नही होने से उनका नाम दर्ज नही किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2020 में विनिता शर्मा बनाम राकेश प्रकरण में पैरा संख्या 129 में स्पष्ट किया है कि जो भूमि वर्ष 2005 से पूर्व मृत्यु उपरान्त खातेदारी दर्ज कर दी गयी है या मालिकाना हक दे दिया गया अथवा बैचान कर दी गयी, विभाजन कर दिया गया तो पुत्रियों का कोई अधिकार नही होगा। प्रगश्नगत प्रकरण में 2005 से पूर्व ही प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर अलग से खाते कायम किये गये जिसे वादीगण द्वारा कोई चुनौती नही दी हैं। अतः वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जावे।

शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे। वाद पत्र विचारण के दौरान वादीगण ने आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम बारापत्थर के खाता संख्या 59/66 की आराजी को भी अंकित कराया गया।

प्रकरण में वाद पत्र, जवाब व प्रतिदावे के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण की पुश्तैनी है ?
—— वादीगण

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के
अधिकारी है ?
—— वादीगण

3. आया आराजी मुतनाजा पुश्तैनी होने से प्रतिवादी संख्या 30 व 39 खातेदारी प्राप्ति के
अधिकारी है ?
—— प्रतिवादी संख्या 30 व 39

4. आया आराजी मुतनाजा के सम्बन्ध में विभाजन का वाद मुरलीधर बनाम विमला न्यायालय में
विचाराधीन है, इसका वाद पर क्या असर पडेगा ?
—— प्रतिवादी संख्या 55

5. आया वर्ष 2005 से पूर्व भूमि पर पुत्रियों का अधिकार नही होने से वाद खारिज योग्य है ?
—— प्रतिवादी संख्या 5, 8 व 9

6. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी सरस्वती व पुष्पा के बयान दर्ज करवाये।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने मुर[illegible] व शशि के बयान दर्ज कराये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया [illegible]गण की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् पारित किया जाता है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:19:45 IST
Reason: SelfAttested

——9

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

तनकी संख्या 1 :–

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार ग्राम देराठू, धोलादांता देराठू, बारापत्थर व राताखेडा की आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में धन्ना के चार पुत्र सालगराम, मोहन, उमराव व ताराचन्द/वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज है। वादीगण का कथन हे कि उक्त आराजी उनके दादा धन्ना की होने के कारण उनका भी हक व अधिकार निहित है। प्रतिवादी संख्या 30, 39 व 55 ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि आराजी मुतनाजा पुश्तेनी है तथा वादीगण धन्ना के पुत्र ताराचन्द की पुत्रियॉ है। जिस कारण आराजी मुतनाजा पुश्तेनी होना व वादीगण ताराचन्द की पुत्री होना निर्विवाद है। प्रतिवादी संख्या 5, 8 व 9 ने जवाब में आराजी मुतनाजा पुश्तैनी होने का कोई खण्डन नही किया है। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि के स्व अर्जित होने के कोई प्रमाण भी पत्रावली में पेश नही किये है। आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबंदी में धन्ना के चार पुत्र सालगराम, मोहन, उमराव व ताराचन्द के नाम दर्ज है। धन्ना व उसके के चार पुत्र सालगराम, मोहन, उमराव व ताराचन्द की भी मृत्यु हो गयी है। वादीगण व प्रतिवादीगण उनके वारिस है। शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। प्रतिवादी संख्या 55 मुरली ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि आराजी मुतनाजा पुश्तैनी है पूर्व में उत भूमि दादा धन्ना के नाम होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 30 विरेन्द्र ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि आराजी मुतनाजा पुश्तैनी है। तथा उसके नाना धन्ना के नाम दर्ज थी। उक्तानुसार वादपत्र, जवाब दावे, प्रतिदावे, राजस्व अभिलेख व गवाहान के बयान से आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तेनी सिद्व होती है। तनकी संख्या 1 बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा निर्विवाद रूप से वादी व प्रतिवादी पक्ष की पुश्तैनी सिद्व होती है। वाद पत्र व प्रतिवादी गवाह की जिरह के अनुसार वादीगण के दादा धन्ना अहीर व धन्ना की पत्नी की मृत्यु हो गयी है। धन्ना के चार पुत्र सालगराम, मोहन, उमराव व ताराचन्द हुये। **सालगराम पुत्र धन्ना** के वारिस भंवरलाल, रामनिवास, भागचन्द, शंकर, नन्दकिशोर पुत्र व विमला, कमला पुत्रिया है जिसमे से नंदकिशोर पुत्र व कमला पुत्री जीवित है, शेष वारिसान का स्वर्गवास हो गया है। जिनके वारिसान को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। धन्ना के अन्य पुत्र **मोहन पुत्र धन्ना** के पुत्र चांदमल, रामलाल, मुरली, बंशीलाल, श्यामलाल, सूरजकरण, व पुत्री रामप्यारी, कौशल्या, दुर्गा, बबली, गायत्री हुये, जिनमें से पुत्री रामप्यारी, दुर्गा की मृत्यु हो गयी है के वारिसान प्रकरण में पक्षकार है। **उमराव पुत्र धन्ना** के पुत्र नाथू सिंह, रामचन्द्र, अशोक, व पुत्रियॉ मालती, लाजवंती, मेना, माया है इनके पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु हो गयी है। जिसके वारिस प्रकरण में पक्षकार है। शेष वारिसान जीवित है। **ताराचन्द पुत्र धन्ना** की मृत्यु हो गयी है जिनके वारिस उदय सिंह, जय सिंह, करण पुत्र शांति देवी, भगवती, देवी, संपत, सरस्वती, पुष्पा पुत्री है। करण सिंह, तथा पुत्री शान्ति देवी (नाऔलाद), भगवती, संपत की मृत्यु हो गयी है जिनके वारिस पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 5, 8 व 9 ने अपने जवाब में कथन किया है कि आराजी मुतनाजा में वर्ष 2005 में पुत्रियों का अधिकार उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार प्रदत्त किया गया के पूर्व में ही प्रतिवादीगण के नाम नियमानुसार खातेदारी दर्ज की जाकर आराजी मुतनाजा पर दर्ज सभी खातेदार विगत 50 वर्ष से खातेदार दर्ज चले आ रहे है। उस समय पुत्रियों का कोई अधिकार नही होने से उनका नाम दर्ज नही किया गया। प्रगश्नगत प्रकरण में 2005 से पूर्व ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:19:45 IST
Reason: SelfAttested

—10

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर अलग से खाते कायम किये गये जिसे वादीगण द्वारा कोई चुनौती नही दी हैं। किन्तु न्यायालय का यह मत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या 32601/2018 विनिता शर्मा बनाम राकेश में पारित आदेश 11.08.2020 के अनुसार सहदायिक बनने या सहदायिक बनने के लिये यह आवश्यक नही है कि पूर्ववती सहदायिक जीवित हो। जन्म से पुत्री को अधिकार दिया गया है। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा तथा संशोधन से पहले या बाद में पैदा हुई पुत्रियॉ पैतृक सपंति में धारा 6 के अनुसार सहदायिक मानी जावेगी। माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के पेरा संख्या 129 से भी वादीगण के कथनों की ताईद होती है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब व जिरह में वादीगण को भी धन्ना की वारिस स्वीकार किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा के मूल खातेदार धन्ना व उसके वारिस पत्नी तथा पुत्रों की मृत्यु हो गयी है। आराजी मुतनाजा पूर्व मे धन्ना के 4 पुत्रों के नाम सह खातेदारी के रूप में दर्ज थी। बाद के राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी आंशिक खातों में 4 पुत्रों के वारिस व आंशिक खातें में अलग– अलग अंकित कर दी गयी है। वादी गण मृतक ताराचन्द के हिस्से की आराजी पर अपाना हक व अधिकार निहित होने का कथन करती है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 से 5 के अनुसार ताराचन्द के विधिक वारिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 20 है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा में ताराचन्द के समस्त विधिक वारिसान का नाम अंकित नही कर कुछ वारिसों का नाम ही अंकित किया गया है। अतः ताराचन्द पुत्र धन्ना के वारिस जिनका नाम हाल जमाबंदी में दर्ज है, के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 20 का नाम दर्ज किया जाना उचित है। वादीगण सरस्वती देवी व पुष्पा मृतक ताराचन्द की पुत्री है। उक्त आराजी ताराचन्द पुत्र धन्ना की पुश्तैनी है किन्तु विरासत का नामान्तकरण करते समय आराजी मुतनाजा पर ताराचन्द के पुत्र उदय सिंह, जय सिंह, व करण सिंह का नाम ही अंकित कर दिया जबकि ताराचन्द की पुत्रिया प्रार्थीगण व संपत, भगवती देवी, शान्ति देवी का नाम भी उक्त आराजी में दर्ज करना चाहिये था। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा अलग–अलग खातों में मात्र आंशिक प्रतिवादीगण के नाम ही दर्ज है। हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी की जा रही है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः मृतक ताराचन्द पुत्र धन्ना के हक व हिस्से की आराजी पर उसके पुत्र उदय सिंह, जय सिंह, करण सिंह के साथ सरस्वती (वादी) पुष्पा (वादी) संपत के वारिस, भगवतीदेवी के समस्त विधिक वारिस अर्थात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 20 खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है। तनकी संख्या 2 बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :–

प्रतिवादी संख्या 30 व 39 ने जवाब के साथ प्रतिदावा पेश कर आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्रापत करने का अनुतोष चाहा है। प्रतिदावा संख्या 30 ने प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि जवाबकर्ता विमला पुत्री सालगराम का पुत्र है। विमला के हक व हिस्से की आराजी पर जवाबकर्ता विरेन्द्र का भी हक व हिस्सा निहित है। विमला के [illegible] व पुत्रियॉ पुष्पा, सुनिता, मंजू है जो जीवित है। आराजी मुतनाजा [illegible] दर्ज करते समय विमला के पुत्र व पुत्रियों का नाम दर्ज [illegible] हिस्से की आराजी पर उसके पुत्र व पुत्रियों का नाम दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:19:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रतिवादी संख्या 39 ने जवाब मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि रामनिवास पुत्र सालगराम की मृत्यु के बाद ग्राम राताखेडा के खसरा नम्बर 1/554 रकबा 0.69 व खसरा नम्बर 1/556 रकबा 0.02 पर जवाबकर्ता का नाम दर्ज किया गया किन्तु शेष आराजी पर जवाबकर्ता का नाम जरियें विरासत दर्ज नही किया गया। अतः आराजी मुतनाजा पर रामनिवास पुत्र सालगराम के हिस्से पर जवाबकर्ता का नाम जरियें विरासत दर्ज किया जावे। उक्त प्रतिदावे पर वादीगण द्वारा अनापित्त जाहिर की गयी। उपस्थित प्रतिवादीगण ने भी प्रतिदावे के खण्डन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। आराजी मुतनाजा पूर्व मे धन्ना के 4 पुत्रों के नाम सह खातेदारी के रूप में दर्ज थी। बाद के राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी आंशिक खातों में 4 पुत्रों के वारिस व आंशिक खातें में अलग– अलग अंकित कर दी गयी है। प्रतिवादी संख्या 30 विमला पुत्री सालगराम व प्रतिवादी संख्या 39 रामनिवास पुत्र सालगराम के हिस्से की आराजी पर अपाना हक व अधिकार निहित होने का कथन करते है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 से 5 के अनुसार सालगराम के विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 21 से 52 है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा में सालगराम के समस्त विधिक वारिसान का नाम अंकित नही कर कुछ वारिसों का नाम ही अंकित किया गया है। अतः सालगराम पुत्र धन्ना के वारिस जिनका नाम हाल जमाबंदी में दर्ज है, के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 21 से 52 का नाम दर्ज किया जाना उचित है। प्रतिवादी संख्या 30 विरेन्द्र सालगराम पुत्र धन्ना की पुत्री विमला का पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 39 रामनिवास पुत्र सालगराम की पुत्री है। आराजी मुतनाजा पर सालगराम की विरासत दर्ज करते समय प्रतिवादी संख्या 30, 39 व सालगराम के समस्त विधिक वारिसान का नाम दर्ज नही किया गया। तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा पुश्तैनी है तथा सालगराम के हिस्से की आराजी पर उसके समस्त विधिक वारिसान खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है। किन्तु आराजी मुतनाजा में से ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 1621/696 रकबा 0.0955 नन्दकिशोर पुत्र सालगराम की खातेदारी में दर्ज है जिसका अकृषि कार्य (वाणिज्यिक) हेतु रूपान्तरण हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 30 व 39 द्वारा प्रतिदावा पेश करने से पूर्व ही उक्त आराजी का रूपान्तरण हो चुका है। खसरा नम्बर 1621/696 पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नही होते है। अतः प्रतिवादी संख्या 30 व 39 उक्त आराजी के अतिरिक्त सालगराम की शेष आराजी पर विरासत हक प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी बहक प्रतिवादी संख्या 30 व 39 निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 :–

प्रतिवादी संख्या 55 ने अपने जवाब में कथन किया है कि आराजी मुतनाजा के सम्बन्ध में विभाजन का वाद मुरलीधर बनाम विमला न्यायालय में विचाराधीन है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 55 ने अपनी जिरह में आराजी मुतनाजा को पुश्तैनी माना है व स्वीकार किया है कि विरासत दर्ज करते समय बहिनों का नाम अंकित होने से रह गया है। प्रतिवादी संख्या 55 ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि आराजी मुतनाजा पर वादीगण का नाम दर्ज किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नही है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 30 व 39 को भूमि पर अधिकार देने से प्रतिवादी संख्या 55 के हिस्से पर कोई प्रभाव नही पडेगा। ग्राम धोलादांता देराठू के खाता संख्या 79/68, 202/1 पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 52 के पूर्वज ताराचन्द व सालगराम अथवा उनके वारिस का नाम अंकित नही हैं। साथ

—12

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:19:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

ही अन्य खातों में भी मृतक मोहनलाल व उमराव अथवा उसके वारिसों के नाम दर्ज आराजी पर किसी प्रकार का परिवर्तन नही होना है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 52 कर हक हाल जमाबंदी में दर्ज मृतक सालगराम व ताराचन्द के वारिसों के नाम दर्ज आराजी पर ही निहित है। पूर्व वाद में वादी द्वारा विभाजन का अनुतोष चाहा गया है जबकि वर्तमान वाद में मूल खातेदार के विधिक वारिस द्वारा जरियें विरासत खातेदारी अनुतोष चाहा गया है। आराजी मुतनाजा पर वादीगबण का हक व हिस्सा पूर्व तनकी अनुसार सिद्व होता है ऐसी स्थिति में सभी विधिक वारिसान का नाम राजस्व अभिलेख में अकिंत किये बिना भूमि का विभाजन किया जाना न्यायोचित नही है। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5 :–

प्रतिवादी संख्या 5, 8 व 9 ने अपने जवाब में कथन किया है कि आराजी मुतनाजा में वर्ष 2005 में पुत्रियों का अधिकार उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार प्रदत किया गया के पूर्व में ही प्रतिवादीगण के नाम नियमानुसार खातेदारी दर्ज की गयी है। आराजी मुतनाजा पर दर्ज सभी खातेदार विगत 50 वर्ष से खातेदार दर्ज चले आ रहे है। उक्त समय पुत्रियों का कोई अधिकार नही होने से उनका नाम दर्ज नही किया गया। प्रगश्नगत प्रकरण में 2005 से पूर्व ही प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर अलग से खाते कायम किये गये जिसे वादीगण द्वारा कोई चुनौती नही दी हैं। किन्तु न्यायालय का यह मत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या 32601/2018 विनिता शर्मा बनाम राकेश में पारित आदेश 11.08.2020 के अनुसार सहदायिक बनने या सहदायिक बनने के लिये यह आवश्यक नही है कि पूर्ववती सहदायिक जीवित हो। जन्म से पुत्री को अधिकार दिया गया है। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा तथा संशोधन से पहले या बाद में पैदा हुई पुत्रियॉ पैतृक सपंति में धारा 6 के अनुसार सहदायिक मानी जावेगी। माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के पेरा संख्या 129 से भी वादीगण के कथनों की ताईद होती है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब व जिरह में वादीगण को भी धन्ना की वारिस स्वीकार किया है। तनकी संख्या 1 से 4 के विवेचन के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर हक व हिस्सा निहित है। तनकी संख्या 5 बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 5, 8 व 9 निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार वादीगण का वाद व प्रतिवादी संख्या 30 व 39 का प्रतिदावा **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। आराजी मुतनाजा पर ताराचन्द पुत्र धन्ना के विधिक वारिसान का ताराचन्द के हिस्से की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/7, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/7, प्रतिवादी संख्या 8 से 11 का 1/7, प्रतिवादी संख्या 12 से 17 का 1/7, प्रतिवादी संख्या 18 से 20 का 1/7, वादी संख्या 1 का 1/7 एवं वादी संख्या 2 का 1/7 हिस्सा निहित है। मृतक सालगराम पुत्र धन्ना के विधिक वारिसान का सालगराम के हिस्से की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 21 से 29 का 1/7, प्रतिवादी संख्या 30 से 36 का 1/7, प्रतिवादी संख्या 37 से 39 का 1/7, प्रतिवादी संख्या 40 से 46 का 1/7, प्रतिवादी संख्या 47 का 1/7, प्रतिवादी संख्या 48 का 1/7 व प्रतिवादी [illegible] 7 हिस्सा निहित है।

ग्राम देराठू के खाता संख्या 664/630 [illegible] 1.2950 पर हाल जमाबंदी में दर्ज खातेदार संख्या 4, 5, 10 [illegible] व प्रतिवादी संख्या 1 से 20 को व खातेदार संख्या [illegible] के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 21 से 52 को खाता संख्या 663/629 के खसरा न[illegible] 1187 रकबा 0.05 पर खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:19:45 IST
Reason: SelfAttested

——13

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

संख्या 1 से 5 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 21 से 52 को खाता संख्या 1113/1079 किता 2 रकबा 0.91 पर खातेदार संख्या 1 से 14 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 21 से 52 को खाता संख्या 1115/1081 के खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.13 पर खातेदार संख्या 4, 5, 8, 13, 14, 24, 27 के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 20 को खातेदार संख्या 10, 11, 15, 16, 17, 21, 23, 28, 31 से 34, 38, 40 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 21 से 52 को खाता संख्या 1114/1080 किता 9 रकबा 7.30 पर खातेदार संख्या 4, 5, 8, 13, 23, 26, के बजाय वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 20 को खातेदार संख्या 10, 11, 14, 15, 16, 20, 22, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 39 के बजाय प्रतिवादी संख्या 21 से 52, **ग्राम राताखेडा** के खाता संख्या 11/11 के खसरा नम्बर 1/557 रकबा 0.67 पर जमाबंदी में दर्ज खातेदार संख्या 1 से 6 के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 20 को, खाता संख्या 80/77 के खसरा नम्बर 1/554 रकबा 0.69 पर खातेदार संख्या 1 से 7 के बजाय प्रतिवादी संख्या 21 से 52 को, खाता संख्या 79/76 के खसरा नम्बर 1/556 रकबा 0.02 पर खातेदार संख्या 2, 3, 5, 6, 12, 14 के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 20 को खातेदार संख्या 7, 10, 11, 18, 19, 21, 22 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 21 से 52 को **ग्राम बारापत्थर** के खाता संख्या 17/18 किता 9 रकबा 2.34 में जमाबंदी में दर्ज खातेदार संख्या 1 से 6 के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 20, खाता संख्या 241/239 किता 4 रकबा 0.25 पर खातेदार संख्या 2, 3, 7, 8, 16, 18 के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 20 को खातेदार संख्या 4, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 23 से 26, 28, 30 के बजाय प्रतिवादी संख्या 21 से 52 को खाता संख्या 92/62 किता 4 रकबा 1.76 में जमाबंदी में दर्ज खातेदार के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 21 से 52 को खाता संख्या 240/238 किता 18 रकबा 6.0145 पर खातेदार संख्या 1 से 14 के बजाय प्रतिवादी संख्या 21 से 52, **ग्राम धोलादांता देराठू** के खाता संख्या 113/105 किता 8 रकबा 2.63 पर जमाबंदी में दर्ज खातेदार संख्या 1 से 5 के बजाय प्रतिवादी संख्या 21 से 52 को खाता संख्या 16/7 किता 7 रकबा 2.68 पर खातेदार संख्या 1 सें 6 के बजाय वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 20 को व खाता संख्या 112/104 के खसरा नम्बर 15 रकबा 0.06 पर खातेदार संख्या 2 से 5, 10, 12 के बजाय वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 20, खातेदार संख्या 6, 8, 9, 13, 15 के बजाय प्रतिवादी संख्या 21 से 52 को उपर अंकित हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त खातों में दर्ज शेष खातेदार का इन्द्राज पूर्ववत रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:19:45 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

पुष्पा बनाम ललिता

दावा बाबत :— 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर — 116/2022
पेश करने की दिनांक — 08.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक नवीन गुर्जर मुद्दई नरेन्द्र सिंह राठौड व मदनपुरी गोस्वामी राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

उक्तानुसार वादीगण का वाद व प्रतिवादी संख्या 30 व 39 का प्रतिदावा **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। आराजी मुतनाजा पर ताराचन्द पुत्र धन्ना के विधिक वारिसान का ताराचन्द के हिस्से की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/7, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/7, प्रतिवादी संख्या 8 से 11 का 1/7, प्रतिवादी संख्या 12 से 17 का 1/7, प्रतिवादी संख्या 18 से 20 का 1/7, वादी संख्या 1 का 1/7 एवं वादी संख्या 2 का 1/7 हिस्सा निहित है। मृतक सालगराम पुत्र धन्ना के विधिक वारिसान का सालगराम के हिस्से की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 21 से 29 का 1/7, प्रतिवादी संख्या 30 से 36 का 1/7, प्रतिवादी संख्या 37 से 39 का 1/7, प्रतिवादी संख्या 40 से 46 का 1/7, प्रतिवादी संख्या 47 का 1/7, प्रतिवादी संख्या 48 का 1/7 व प्रतिवादी संख्या 49 से 52 का 1/7 हिस्सा निहित है। **ग्राम देराठू** के खाता संख्या 664/630 किता 4 रकबा 1.2950 पर हाल जमाबंदी में दर्ज खातेदार संख्या 4, 5, 10, 13, के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 20 को व खातेदार संख्या 11, 16, 17, 21, 23 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 21 से 52 को खाता संख्या 663/629 के खसरा नम्बर 1187 रकबा 0.05 पर खातेदार संख्या 1 से 5 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 21 से 52 को खाता संख्या 1113/1079 किता 2 रकबा 0.91 पर खातेदार संख्या 1 से 14 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 21 से 52 को खाता संख्या 1115/1081 के खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.13 पर खातेदार संख्या 4, 5, 8, 13, 14, 24, 27 के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 20 को खातेदार संख्या 10, 11, 15, 16, 17, 21, 23, 28, 31 से 34, 38, 40 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 21 से 52 को खाता संख्या 1114/1080 किता 9 रकबा 7.30 पर खातेदार संख्या 4, 5, 8, 13, 23, 26, के बजाय वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 20 को खातेदार संख्या 10, 11, 14, 15, 16, 20, 22, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 39 के बजाय प्रतिवादी संख्या 21 से 52, **ग्राम राताखेडा** के खाता संख्या 11/11 के खसरा नम्बर 1/557 रकबा 0.67 पर जमाबंदी में दर्ज खातेदार संख्या 1 से 6 के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 20 को, खाता संख्या 80/77 के खसरा [illegible] 1/554 [illegible].69 पर खातेदार संख्या 1 से 7 के बजाय प्रतिवादी संख्या 21 से 52 को, [illegible] 79/76 के खसरा नम्बर 1/556 रकबा 0.02 पर खातेदार संख्या 2, [illegible] 5, 6, [illegible] के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 20 को खा[illegible] [illegible] 1, 18, 19, 21, 22 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 21 से 52 को **ग्राम बारापत्थ**[illegible] के खाता संख्या 17/18 किता 9

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:19:45 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

रकबा 2.34 में जमाबंदी में दर्ज खातेदार संख्या 1 से 6 के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 20, खाता संख्या 241/239 किता 4 रकबा 0.25 पर खातेदार संख्या 2, 3, 7, 8, 16, 18 के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 20 को खातेदार संख्या 4, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 23 से 26, 28, 30 के बजाय प्रतिवादी संख्या 21 से 52 को खाता संख्या 92/62 किता 4 रकबा 1.76 में जमाबंदी में दर्ज खातेदार के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 21 से 52 को खाता संख्या 240/238 किता 18 रकबा 6.0145 पर खातेदार संख्या 1 से 14 के बजाय प्रतिवादी संख्या 21 से 52, ग्राम धोलादांता देराठू के खाता संख्या 113/105 किता 8 रकबा 2.63 पर जमाबंदी में दर्ज खातेदार संख्या 1 से 5 के बजाय प्रतिवादी संख्या 21 से 52 को खाता संख्या 16/7 किता 7 रकबा 2.68 पर खातेदार संख्या 1 से 6 के बजाय वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 20 को व खाता संख्या 112/104 के खसरा नम्बर 15 रकबा 0.06 पर खातेदार संख्या 2 से 5, 10, 12 के बजाय वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 20, खातेदार संख्या 6, 8, 9, 13, 15 के बजाय प्रतिवादी संख्या 21 से 52 को उपर अंकित हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त खातों में दर्ज शेष खातेदार का इन्द्राज पूर्ववत रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 22 माह 01 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:19:45 IST
Reason: SelfAttested